राज्यपाल – (152-213) (Governor)

अनु० 153 के अनुसार हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है(155)। उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है (156)। उनका वेतन 36000 है। राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य निम्न लिखित हैं-

1- कार्यपालिका शक्तियां – राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है जिन्हें वह स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा संपादित करता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की। वह महाधिवक्ता, लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष तथा इसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति के संबंध में उससे परामर्श लिया जाता है। उसे मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचना मांगने का अधिकार है।

2- विधायी शक्तियां – राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का एक अविच्छेद्य अंग होता है। वह व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है और स्थगित करता है और वह व्यवस्थापिका के निम्न सदन को विघटित भी कर सकता है। महानिर्वाचन के बाद विधान मण्डल की पहली बैठक में वह एक या दोनो सदनों को संबोधित करता है। राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर विधान मण्डल की बैठक के बीच की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। वह राज्य विधान परिषद के सदस्यों को ऐसे लोगों में से नामजद करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आन्दोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष तथा व्यवहारिक ज्ञान हो।

3- वित्तीय शक्तियाँ – राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त है। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करता है तथा उसकी सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। राज्यपाल विधानमण्डल से इरक, अतिरिक्त तथा आधिक अनुदान की भी मांग कर सकता है। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के ही अधिकार में रहती है।

4- न्यायिक शक्तियां - संविधान के अनु० 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध

G. P. Rathaur

Scanned by TapScanner

अपराध करने वाले व्यक्तियों के दण्ड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है तथा क्षमा भी कर सकता है।

5- विविध शक्तियां -

I- वह राज्य लोकसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और राज्य की आय-व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है और उन्हें विधान मण्डल के समक्ष रखता है।

II- राज्य में संवैधानिक संकट के समय तथा राष्ट्र में संकटकाल के दौरान शासन की सम्पूर्ण शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल करता है।

III- राज्यपाल को नागालैण्ड, सिक्किम, अरुणांचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों में स्वविवेकीय शक्ति का भी प्रयोग करता है।

Scanned by TapScanner

मुख्यमंत्री (Chief Minister) -

राज्य में मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल करते है(164)। मुख्यमंत्री की कार्य एवं शक्तियां निम्न लिखित हैं।

मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का गठन करता है। वह अपने मंत्रिमण्डल के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण करता है। वह मंत्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह मंत्रियों के आपसी विवादों तथा मतभेदों को सुलझाता है। वह विधानसभा का नेता होता है। यह विधानसभा के अध्यक्ष से परामर्श करके विधायी कार्यक्रम तैयार करता है। उसे यह भी अधिकार है कि राज्यपाल को परामर्श देकर विधानसभा को विघटित करा दे। वह राज्य का प्रमुख प्रवक्ता होता है। और राज्य की नीतियों के निर्धारण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर जिन व्यक्तियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, वस्तुत: उनका चयन मुख्यमंत्री ही करता है। मुख्यत: मुख्यमंत्री के पांच कार्य हैं-

1- मंत्रिमण्डल के अध्यक्ष होने के कारण वह मंत्रिमण्डल का गठन करता है।

2- मंत्रिमण्डल के अध्यक्ष होने के नाते वह मंत्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करता है।

3- राज्यपाल को राज्य शासन या व्यवस्थापन संबंधी मंत्रिमण्डल के निर्णयों से अवगत कराता है।

4- कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होने के कारण उसे समस्त प्रशासन के निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है।

5- विधानसभा में शासकीय नीतियों तथा कार्यों की घोषणा और स्पष्टीकरण करने का उत्तरदायित्व मुख्यमंत्री पर है।

Scanned by TapScanner